न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

पीठासीन अधिकारी–श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती, उ०प्र०न्यायिक सेवा (यू०पी० 3770)

पंजीकरण संख्या–778/2024

परिवाद संख्या –386/2024

नितिन गिरि बनाम अब्दुल जब्बार

थाना–सिम्भावली, जनपद हापुड़।

दिनांक–05.12.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। आदेश हेतु पत्रावली का परिशीलन किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में तलबी के बिन्दुओं पर सुना जा चुका है।

परिवादी द्वारा परिवादपत्र में कथन किया गया है कि "परिवादी ग्राम फरीदपुर गोसांई, थाना सिम्भावली, जिला हापुड का रहने वाला है। परिवादी क्रिकेट खेलता है। लगभग 10 साल पहले मेरठ के विक्टोरिया पार्क में किकेट की कोचिंग करता था, तो उसी दौरान परिवादी की अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी गुलिस्तान सी सागर हॉस्पीटल के सामने, अनूपशहर रोड, महेशपुर, जिला अलीगढ मोबाईल से मुलाकात हुई तो अब्दुल जब्बार ने परिवादी को बताया कि मैं किकेट सिखाने की कोचिंग देता हूँ और मेरे क्रिकेट में बडे बडे लोगों से सम्बन्ध हैं, मैं तुझे कुल डेढ लाख रूपये में अंडर 16 मैच में खिलवा दूगां तथा उसने परिवादी को अपनी बातों में लेकर परिवादी से अंडर 16 मैच खेलने के लिये अब्दुल जब्बार ने परिवादी से अपने खाते 31001218665 व 10975988337 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में दिनांक 19.11.2013 को 20,000/– रूपये दिनांक 03.04.2014 को 25,000/– रूपये तथा दिनांक 05.07.2014 को 5,000/– रूपये तथा दिनांक 23.09.2014 को 15,000/– रूपये तथा दिनांक 27.09.2014 को 8,000/– रूपये तथा थाना सिम्भावली के बराबर में बिजली घर के सामने नकद रूप में 77,000/– रूपये लिये, कुल मिलाकर अब्दुल जब्बार ने परिवादी से डेढ लाख रूपये ले लिये तथा परिवादी को अंडर 16 मैच खिलाने का 2–3 महीने का टाईम दे दिया। समय गुजरने के बाद परिवादी ने अब्दुल जब्बार से कहा कि मुझे अंडर 16 खिला दो, तो अब्दुल जब्बार टाल मटोल करने लगा। परिवादी ने एक साल बाद उससे अपने रूपये मांगे तो उसने परिवादी को कुछ दिन में पैसे वापिस करने का समय दे दिया। अब्दुल जब्बार पेसे वापिस देने को भी टाल मटोल करता रहा। परिवादी ने दिनांक 04.09.2023 को फोन पर अब्दुल जब्बार से अपने रूपये मांगे तो उसने रूपये देने से मना कर दिया तथा कहा आज के बाद मुझसे अपने रूपये मांगे तो जान से मार दूगां। लोगों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठने का मेरा यही काम है, मैंने ना तो किसी के पैसे वापिस करे हैं, ना ही मैं तेरे रूपये वापिस करूगां और आज के बाद मुझे कॉल मत करना, नहीं तो तुझे जान से मार दूगां। अब्दुल जब्बार ने परिवादी के 1,50,000/– रूपये धोखाधडी करके हड़प लिये हैं। परिवादी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादी ने दिनांक 26.09.2024 को पुलिस अधीक्षक, हापुड को लिखित तहरीर दी, जिस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

आवेदक द्वारा अपने कथानक के समर्थन में एक किता शिकायती प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ दिनांकित 26.09.2024, एक किता मूल रजिस्ट्री रसीद दिनांक 26.09.2024,

Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR BHARTI
Date: 2025.12.05 15:14:03 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एक किता फोटोकॉपी बैंक खाते में किये जमा रूपयों की रसीद, एक किता प्रार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी.डब्लू.–01 सचिन गिरी पुत्र नानक गिरी व पी०डब्लू०–02 अनिल पुत्र चेतन गिरी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. में परिवादी के परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है।

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षी अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफ्फार के विरुद्ध धारा 406, 506 भा.दं.सं. का प्रथम दृष्टया अपराध बनता प्रतीत होता है और उसे उक्त धाराओं में तलब किए जाने हेतु पर्याप्त आधार पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्त **अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफ्फार** निवासी गुलिस्तान सी सागर हास्पिटल के सामने, अनूपशहर रोड, महेशपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध **धारा 406, 506 भा.दं.सं.** के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। पैरवी अन्दर सात दिन हो। परिवादी द्वारा पैरवी करने पर आदेश प्रभावी होगा। अभियुक्तगण को सम्मन दिनांक 04.01.2026 के लिए जारी हो। सम्मन के साथ परिवाद–पत्र की एक प्रति भेजी जाये।

(धर्मेन्द्र कुमार भारती)
अपर सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।